

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



जयपुर, दिनांक

13 MAR 2018

क्रमांक एफ 20(35)ग्रावि/नरेगा/विविध/सीयूजी/2010/56261
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बीएसएनएल सीयूजी प्लान-1100 में
उपलब्ध कराये गये प्रीपेड मोबाईल फोन कनेक्शन के उपयोग बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवकों एवं जिला व ब्लॉक स्तर पर योजना के अधिकारियों/कर्मचारियों को बीएसएनएल सीयूजी प्लान-1100 अन्तर्गत प्रीपेड मोबाईल फोन सुविधाएं जनवरी, 2011 से उपलब्ध कराई हुई है। बीएसएनएल द्वारा 150 मिनट प्रति माह किसी भी नेटवर्क पर निःशुल्क कॉल के साथ-साथ 1 जीबी डाटा प्रति माह की सुविधा पूर्व में दी जा रही अन्य सुविधाओं को यथावत रखते हुए दी गई है। महात्मा गांधी नरेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर कुछ कनेक्शनों पर कॉल किये जाने पर पाया गया कि वर्तमान में काफी संख्या में कनेक्शन स्विच ऑफ या नो रिप्लाइ आ रहे हैं।

अतः इस संबंध में सुविधाओं के समुचित उपयोग हेतु निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. आपके जिले को आवंटित एवं बीएसएनएल द्वारा दिये गये समस्त संख्या में कनेक्शनों की जिला स्तर से जांच करवाये कि कितने कनेक्शन एक्टिव हैं एवं कितने एक्टिव होने के बावजूद संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उपयोग नहीं लिये जा रहे हैं, उनका उपयोग सुनिश्चित करावे।
2. आपके जिले में उक्त सीयूजी कनेक्शनों से संबंधित जितनी सिम गुम या इन-एक्टिव हो गई है, उनके लिए आपके जिले के बीएसएनएल कार्यालय से अविलम्ब संपर्क कर उन्हें एक्टिवेट या नई सिम जारी करावे एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से उनका उपयोग तत्काल सुनिश्चित करावें।
3. जिन कर्मचारियों को उक्त सीयूजी मोबाईल कनेक्शन आवंटित किये गये हैं, उनके द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित करावे।
4. विभाग की जानकारी में आया है कि उक्त मोबाईल फोन उपयोगकर्ता अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उनका स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति होने पर उनके स्थान पर ज्वाइन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को यह फोन सुपुर्द कर या उच्चाधिकारियों को जमा कराकर नहीं जाते हैं। इससे उनके स्थान पर ज्वाइन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को असुविधा होती है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2010, 03.08.2011 एवं 12.08.2011 द्वारा दिये जा चुके हैं। अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि स्थानान्तरित एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पूर्व कार्यालयध्यक्ष स्टोर/संस्थापन शाखा से मोबाईल फोन एवं सिम जमा होने की सूचना आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे। उक्त मोबाईल फोन एवं सिम स्टोर में जमा होने की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें कार्यमुक्त किया जावे। इसके साथ ही जिला परिषद के परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं पंचायत समिति के लेखाकारों को भी पाबंद करें कि वे ऐसे स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की एलपीसी (गत भुगतान प्रमाण पत्र) मोबाईल फोन एवं सिम के रिकॉर्ड में जमा होने की लिखित सूचना के बाद ही जारी करें।

5. आपके जिले की समस्त ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उपयोग हेतु दिये गये सीयूजी मोबाईल फोन नंबरों की मोबाईल नंबर, उपयोगकर्ता का नाम, ई-मेल आईडी, पद, ब्लॉक/जिला/ग्राम पंचायत का नाम आदि सहित एक जिला स्तरीय डायरेक्ट्री तैयार की जावे, जिसकी प्रति प्रत्येक उपयोगकर्ता एवं योजना से संबंधित समस्त कार्मिकों को उपलब्ध कराई जावे। साथ ही इसकी एक प्रति राज्य मुख्यालय को भी दिनांक 25.03.2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि इस सुविधा का समुचित उपयोग हो सके।

उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(शाहीन अली खान)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को पालनार्थ।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस